41–(08)–31–2018

पटना में दिनांक–06 मार्च, 2018 मंगलवार को अपराह्न 06:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

पथ निर्माण विभाग

1. मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मीनापुर प्रखंड में रघईघाट के समीप बूढ़ी गंडक नदी पर पहुँच पथ, भू–अर्जन एवं बचाव कार्य सहित 12X24.75m आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य कुल 2801.62 लाख (अठाईस करोड़ एक लाख बासठ हजार) रूपये के प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

1. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

2. पथ प्रमंडल, मोतिहारी के अन्तर्गत एन०एच०–28 रामगढ़वा थाना चौक से पिपरपाती घाट पथ के कि०मी० 0.00 से 7.20 तक (कुल 7.20 कि०मी० पथांश लंबाई) पथांश लंबाई में मिट्टी कार्य, सिमेंट कंक्रीट पथ कार्य, बॉक्स कल्भर्ट निर्माण कार्य, आर०सी०सी० ड्रेन निर्माण कार्य, उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य, डायवर्सन कार्य, Utility Shifting कार्य, Tree Cutting कार्य, ह्यूम पाईप कल्भर्ट निर्माण कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 3614.97 लाख (छत्तीस करोड़ चौदह लाख सनतानवे हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

2. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

3. पथ प्रमंडल सं०–1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत SH–74 (बखरा–साहेबगंज) पथ के कि०मी 36.50 से 84.30 तक (कुल 47.80 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, विविध कार्य, बॉक्स कल्भर्ट निर्माण कार्य, पेभर ब्लॉक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित पथ का उन्नयन कार्य कुल 7628.30 लाख (छिहत्तर करोड़ अठाईस लाख तीस हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

3. **स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

4. वित्तीय वर्ष 2017–18 में ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक व्यय/उपस्कर क्रय हेतु कुल ₹ 54,47,00,000.00 (चौवन करोड़ सैंतालिस लाख रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति।

4. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5.	बौंसी मेला, बाँका; देव छठ मेला, औरंगाबाद; बाबा विशुराउत धाम मेला, मधेपुरा तथा नालंदा जिलान्तर्गत एकंगरसराय प्रखंड के औंगारी धाम मेला एवं सिलाव प्रखंड के बड़गॉव छठ मेला को राजकीय मेला का दर्जा देने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा)

6.	वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य के 2000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं 4000 माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला उपकरणों की आपूर्ति हेतु क्रमशः ₹ 10,000.00 लाख (एक अरब) रूपये एवं ₹ 12000.00 लाख (एक अरब बीस करोड़) रूपये अर्थात कुल ₹ 22000.00 लाख (दो अरब बीस करोड़) रूपये के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

7.	वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्र प्रायोजित योजना ICT@ School कार्यक्रम के तहत् राज्य योजनान्तर्गत अन्तर राशि ₹ 6568.00 लाख (पैंसठ करोड़ अरसठ लाख) के विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा)

8.	वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य के 2400 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपस्करों के क्रय हेतु ₹ 12000.00 लाख (एक अरब बीस करोड़) रूपये की व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(आई०सी०डी०एस० निदेशालय)

9.	माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ सं॰ 5656/2008 मो० उर्मिला देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–02.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु स्व० भुवनेश्वर शर्मा को उनके 60 वर्ष की उम्र तक सेवा अवधि मानते हुए नियमानुसार उनकी पत्नी मो० उर्मिला देवी को देय राशि के भुगतान की स्वीकृति।	9.	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

10. दिव्यांगजनों के अधिकार संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत एक पृथक निदेशालय "दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय" स्थापित करने, इसके लिए मुख्यालय स्तर पर 01 (एक) निदेशक, 02 (दो) सहायक निदेशक तथा प्रत्येक जिला स्तर पर एक–एक अर्थात 38 (अड़तीस) सहायक निदेशक के पदों को सृजित करने एवं दिव्यांगजनों से संबंधित सभी प्रकार के अधिनियम, नियमावली का कार्यान्वयन तथा बिहार राज्य निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को छोड़कर दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ अन्य सभी योजनाओं का कार्यान्वयन इस नवसृजित निदेशालय में स्थानांतरित करते हुए सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय का संशोधित नाम "सामाजिक सुरक्षा निदेशालय" करने के संबंध में। **10. स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग
(आई०सी०डी०एस० निदेशालय)

11. वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूरक पोषाहार मद में केन्द्रांश मद की राशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में बजट उपबंध एवं उद्व्यय के अंतर्गत राज्यांश मद में अवशेष राशि रू० 40123.00 लाख (चार सौ एक करोड़ तेइस लाख मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। **11. स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

12. आई०टी०पार्क की स्थापना हेतु मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा के मौजा–डुमरी में आवंटित 25.00 एकड़ भूमि के बदले मौजा–सिकन्दरपुर में भूमि उपलब्ध कराने हेतु कुल प्राक्कलित राशि ₹ 53,31,88,595.00 (तिरपन करोड़ इकतीस लाख अठासी हजार पाँच सौ पंचानवे) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में। **12. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

13. इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के विभिन्न विभागों हेतु विभिन्न स्तर के अतिरिक्त 214 (दो सौ चौदह) पदों के सृजन की स्वीकृति। **13. स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

14. बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 में संशोधन की स्वीकृति। **14. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

15. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना में मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर पुनर्नियुक्त पदाधिकारी–श्री सतीश सिंह ठाकुर, भा०प्र०से० (सेवानिवृत्त) की सेवा को दिनांक–31.03.2018 को समाप्त हो रही उनकी पुनर्नियुक्ति की अवधि के उपरान्त दिनांक–01.04.2018 से 31.03.2019 तक पूर्व निर्धारित शर्त्तों पर विस्तारित किये जाने के संबंध में। **15. स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

16. पुरी (उड़ीसा) जिलान्तर्गत बालूखंड ग्राम में प्रस्तावित "श्री जगन्नाथ इन्क्लेव" में उड़ीसा इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट कॉरपोरेशन (Odisha Industrial Infrastucture Development Corporation) द्वारा बिहार सरकार को 'बिहार भवन' हेतु आवंटित 0.450 एकड़ भूखंड के लिए उड़ीसा इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट कॉरपोरेशन (Odisha Industrial Infrastucture Development Corporation) को भुगतान करने हेतु रूपये 63,90,000/– (तिरसठ लाख नब्बे हजार रूपये) की स्वीकृति के संबंध में। **16. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

17. पथ प्रमंडल, हिलसा अंतर्गत रामघाट (NH-30A) से बेरथू पथ भाया लच्छूबिगहा–बलघा–डियावाँ–करायपरसुराय – दीरीपर के कि०मी० 2.75 से 20.95 तक कुल–18.20 कि०मी० में पथ अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 7221.66 लाख (बहत्तर करोड़ इक्कीस लाख छियासठ हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **17. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

18. पथ प्रमंडल, पूर्णिया अंतर्गत फलका चौक से करमन चौक पथ भाया श्रीपुरमाली भवानीपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 33.20 (कुल 33.20 कि०मी० पथांश लम्बाई) में पथ अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 11483.92 लाख (एक अरब चौदह करोड़ तिरासी लाख बानवे हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **18. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

19. पथ प्रमंडल, पूर्णिया अंतर्गत विशुनपुर से सुपौली पथ के कि०मी० 0.00 से 3.60 एवं 7.00 से 14.40 (कुल 11.00 कि०मी० पथांश लम्बाई) में पथ अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 3341.42 लाख (तैंतीस करोड़ एकतालीस लाख बेयालिस हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **19. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

20. पथ प्रमंडल, मधेपुरा अंतर्गत ग्वालपाड़ा–बिहारीगंज पथ के कि०मी० 0.00 से 9.05 तक कुल–9.05 कि०मी० में पथ अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 4704.89 लाख (सैंतालीस करोड़ चार लाख नवासी हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 20. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

21. पथ प्रमंडल, बेतिया अंतर्गत छोटकीपट्टी से रामनगर भाया कपरधिका पथ के कि०मी० 11.00 से 21.20 (कुल 10.20 कि०मी० पथांश लम्बाई) में पथ अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 5048.52 लाख (पचास करोड़ अड़तालीस लाख बावन हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 21. **स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

22. कर–प्रमादी निबंधित/अनिबंधित व्यवसायिक/मालवाहक वाहन तथा कृषि/व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर–ट्रेलर को दिये गये सर्वक्षमा की अवधि विस्तार किये जाने के संबंध में। 22. **स्वीकृत।**

योजना एवं विकास विभाग

23. बिहार स्थानीय क्षेत्र अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्ती नियमावली, 2018 की स्वीकृति के संबंध में। 23. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

24. अकार्यरत लोक उपक्रमों के कर्मियों के बकाये वेतनादि का भुगतान तथा इन निगमों के विभिन्न सरकारी विभागों में प्रतिनियुक्त एवं इन निगमों में शेष बचे कर्मियों के विभिन्न सरकारी विभागों में समायोजन की स्वीकृति के संबंध में। 24. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

25. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–02 (औरंगाबाद–बरबड्डा) के 6 लेनिंग परियोजना हेतु गया जिलान्तर्गत अंचल–आमस के मौजा–सुग्गी, थाना संख्या–485, खाता सं०–30 पुराना, 144 चक, खेसरा सं०–283 पुराना, 464 चक, रकबा–0.0595 एकड़ अनावाद बिहार सरकार भूमि "यथास्थिति" में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण (N.H.A.I), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। 25. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

26. किशनगंज जिलान्तर्गत एस०एस०बी० कैम्प 12वीं बटालियन सालबाड़ी बी०ओ०पी० निर्माण हेतु दिघलबैंक अंचल अन्तर्गत मौजा–बारभांग, थाना नं०–317, खाता नं०–243, खेसरा नं०–293, रकबा–1.15.3 एकड़ (एक एकड़ पन्द्रह डिसमिल तीन कड़ी) गैरमजरूआ सर्वसाधारण भूमि 5,500/–(पॉच हजार पॉच सौ) रू० प्रति डिसमिल की दर से 6,34,150/–(छः लाख चौंतीस हजार एक सौ पचास) रू० सलामी तथा सलामी के 2 प्रतिशत का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य अर्थात 3,17,075/–(तीन लाख सतरह हजार पचहत्तर) रू० सहित कुल–9,51,225/–(नौ लाख एकावन हजार दो सौ पच्चीस) रू० के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में। 26. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

27. डा० (श्रीमती) मधु सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, बनवारीपुर, बेगूसराय को पॉच वर्षों से अधिक लगातार अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहने के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। 27. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

28. डा० (श्रीमती) सरोज चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, झंझारपुर को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। 28. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

29. डा० नीरज सांस्कृत्यायन, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, करगहर, रोहतास को पॉच वर्षों से अधिक लगातार अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहने के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। 29. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

30. राज्य स्कीम अन्तर्गत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के क्रियान्वयन के अंतर्गत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चे वर्ष 2014–15 में लाभ से वंचित शेष 12019 बच्चे को 4350/–रूपये प्रति बच्चे की दर से मात्र ₹ 52282650/–(पाँच करोड़ बाईस लाख बेरासी हजार छः सौ पचास रूपये), वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल नामांकित छात्र–छात्राओं की संख्या 66712 को 6433/–रूपये प्रति बच्चे की दर से मात्र ₹ 429158296/–(बयालिस करोड़ इक्यानवे लाख अट्ठावन हजार दो सौ छियानवे रूपये) एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल नामांकित 115777 बच्चे में से तत्काल 63717 नामांकित छात्र–छात्राओं के लिए 6569/–रूपये प्रति बच्चें की दर से मात्र ₹418556973/– (इकतालीस करोड़ पचासी लाख छप्पन हजार नौ सौ तिहत्तर रूपये) राशि की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में सहायक अनुदान के रूप में कुल ₹899997919/–(नवासी करोड़ निन्यानवे लाख सत्तानवे हजार नौ सौ उन्नीस रूपये) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति।

30. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

31. वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन/बकाया मंहगाई भत्ता/बकाये वेतनादि के भुगतान हेतु वेतनादि मद में कुल रू० 435,42,12,817/–(चार सौ पैंतीस करोड़ बयालीस लाख बारह हजार आठ सौ सत्रह) मात्र एवं नियमित सेवान्त लाभ/बकाया महंगाई राहत के भुगतान हेतु गैर–वेतनादि मद में कुल रू० 140,76,14,481/–(एक सौ चालीस करोड़ छिहत्तर लाख चौदह हजार चार सौ ईक्यासी) मात्र अर्थात कुल रूपये 576,18,27,298/–(पाँच सौ छिहत्तर करोड़ अठ्ठारह लाख सताईस हजार दो सौ अंठान्वे) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

31. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

32. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्रीय पेंशन योजनाओं में भारत सरकार द्वारा निर्धारित संख्यात्मक अधिसीमा से अतिरेक पेंशनधारियों के कुल पेंशन राशि का भुगतान राज्य मद से करने एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू० 781.20 करोड़ (सात सौ इकासी करोड़ बीस लाख) अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

32. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

33. मुम्बई (महाराष्ट्र) अवस्थित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियंत्रणाधीन फ्लैट को बिहार सरकार को तीन साल के लिये लीव एवं लाइसेन्स के तहत प्राप्त कराने की स्वीकृति का प्रस्ताव।

33. स्वीकृत।